

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल न्वालियर सर्किट कोर्ट  
रीवा जिला-रीवा म०प्र०



R 5343 II/16

कौशल प्रसाद पटेल पिता जमुना प्रसाद पटेल उम्र 50 वर्ष, निवासी ग्राम जुड़मनिया, थाना तहसील नईगढ़ी, जिला रीवा म०प्र०

-----निगरानीकर्ता/आवेदक

बनाम्

श्रीमती रामकली तिवारी पत्नी श्री राम लक्ष्य तिवारी उम्र लगभग 45 साल, निवासी ग्राम हंसलो 1059, थाना तहसील नईगढ़ी, जिला रीवा म०प्र०

-----गैरनिगरानीकर्ता/अनावेदक

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय जायब तहसीलदार महोदय वृत्त खर्चा, तहसील-नईगढ़ी, जिला रीवा म०प्र० राजस्व प्रकरण क्रमांक 1A12 /15-16 आदेश दिनांक 25-04-16

अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 ई०

आवेदक अभिभावक  
श्री रमेश लोधीपा एफ  
व्हाट घरा/25.7.16  
25.7.16  
ASL

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-


- 1- यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 25-04-16 विधि एवं प्रकिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने के काबिल है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.5343-II/16

जिला-रीवा

कौशल प्रसाद पटेल / श्रीमती रामकली तिवारी

(1)	(2)	(3)
17.05.17	<ol style="list-style-type: none"><li>1. प्रकरण प्रस्तुत।</li><li>2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।</li><li>3. चूंकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</li><li>4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।</li></ol> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	